

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

पक्षकारन को नोटिस देा है। जारी
होकर दिनांक 12/5/22 को देा है।

(SDD) बालोतरा

14/5/22

~~उक्त पक्षकारन आपसी सहमति से
लोक अदालत की मानता से जेरिफ
के कर प्रकलन के जरिफे दुकलती कराना
चाहते है।~~

~~गार्डीनी क दिगार्डीगल जेरोकार~~

चमपती
जेकेनकी मीचल
भा मे
भा मे
कोई भाषा में नहीं
14/5/22
PPR-PP

~~सरकार तहसीलदार, पंचपदरा की सहमति
से लोक अदालत की मानता से स्वीकार
किया जाता है. मोजा मिडिमारा के क्र. नं.
396/347 रकबा 2 बीघा 20 अंके की तहसील
तहसीलदार, पंचपदरा के द्वारा प्रस्तावित
नक्शा परिशिष्ट "क" के अनुसार करने के
आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार
तहसीलदार, पंचपदरा तहसील दुकलती करे
पत्रावली के फल शुमार होकर नक्शे लेक
के।~~

~~निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत में आज दिनांक
14.05.2022 को सुने काम कुनामा गला~~

(नरेश चौधरी)
जज अदालत
(SDD) बालोतरा

सवाने



लोक न्यायालय के समक्ष

समस्या का नाम

(वैदिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन
..... प्राधिकरण / समिति द्वारा आयोजित)

काचो/पाचो/परिचाची ~~सरपंच~~
~~ग्राम पंचायत खारडी~~

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी ~~रहसीलदार, पंचपदरा~~

..... न्यायालय / प्राधिकरण / समिति की कार्यवाही संख्या:

उपस्थिति :- ~~श्री धानसिंह बखील, रहसीलदार, पंचपदरा~~

न्यायिक अधिकारी / समन्वित न्यायिक अधिकारी का नाम:

सदस्यों का नाम

अधिनियम

पक्षकारों के बीच विवाद को लोक न्यायालय के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विवाद को समझाता / परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के नबधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनियम पारित किया जाता है:

~~प्रथम मैना पिडियारा के ख. नं. 396/347 रकबा 2 बीगा विवादित आराजी की तस्मीम रहसीलदार, पंचपदरा द्वारा प्रस्तावित नबधा परिशिष्ट "क" के अनुसार करके के अदेश उदान सिंकेगरे है, तदानुसार रहसीलदार पंचपदरा तस्मीम दुमरकी को~~

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वार, सवस्त की गई है तो यह वापस की जाएगी।

धार्मिक अधिकारी

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी

14/5/22
TDR-PCP

अध्यक्ष
स्थायी लोक न्यायालय
बालोतरा

सदस्य

सदस्य

प्राधिकरण / समिति की मुद्रा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा